

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक 2129 /33-विभाग/आगणन/2024-25

दिनांक/2 दिसम्बर, 2024

खण्ड विकास अधिकारी,

कनालीछीना।

- माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र डोडीहाट की विधायक निधि वर्ष 2024-25 में निम्न योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं। जिसकी कार्यवाही आपको नमित किया गया है। इस क्रम में अवगत कराना है कि निम्न योजना के आगणन/कोटेशन/टेंडर प्रक्रिया/तुलनात्मक चार्ट इस कार्य एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये ताकि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त आपको योजनाओं की धनराशि अवमुक्त की जा सके। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड के पत्रांक 537/XI/07/51(01)2007 दिनांक 23.07.2007 से प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- सम्बन्धित कार्यवाही संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी कि न्यूनतम मूल्य व संतोषजनक विशिष्टताओं की सामग्री ही उत्तराखण्ड आ नियमावली 2017 के अनुसार कय की जायगी। सामग्री कय करने से पूर्व सामग्री के मूल्य व गुणवत्ता का बाजार सर्वे करते हुए पूर्ण रूप से सन्तु पर ही कोटेशन/तुलनात्मक चार्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सामग्री कय उपरान्त बचत शेष होती है, तो इस कार्य उपलब्ध करावे ताकि तदनुसार मा0 विधायक को अवगत कराया जा सके।
- निर्माण कार्य में समय-समय पर अवर अनियन्ता तथा सह0 अनि0 द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाय।
- आपको यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2017-18 के उपरान्त विधायक निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यो की Geotagging कराई जानी अति तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकृति कार्य उसी वर्ष में पूर्ण कराये जाने आवश्यक हैं। वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण न होने पर अथवा धनराशि स्वैम कार्यवाही संस्था की जिम्मेदारी होगी।
- अशासकीय विद्यालयों में विद्यालयी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति भी आगणन के साथ प्रस्तुत करें।
- कार्यवाही संस्था यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि स्वीकृत नहीं है।
- अ0जा0/ज0जा0 हेतु स्वीकृत कार्य अ0जा0/ज0जा0 बस्ती में ही कराये जाय तथा अ0जा0/ज0जा0 बस्ती निवास का प्रमाण पत्र भी आग साथ प्रस्तुत किया गया।
- योजना में पियाद/ कार्य विलम्ब होने की स्थिति में तत्काल अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना होगा।
- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ या सम्बन्धित कर्मचारी की उपस्थिति में लिया गया हैं, आगणन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में व्यथितगत भूमि में न किया जाये।
- सामुदायिक/सार्वजनिक कार्य होने की स्थिति में कार्यस्थल की भूमि संबन्धी अभिलेखों (जिससे यह प्रमाणित हो सके की उक्त निर्माण कार्य ति पर नहीं किया जा रहा है) की जाँच करना सुनिश्चित करें तथा अभिलेखों को ऑडिट के समय प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से पत्रावली में रखें।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा यह क कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा याँज व्यक्तितगत लानार्थी के लान हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।
- विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो में किसी भी प्रकार का कय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाए सोलर लाइट कय में गुणवत्ता/रख-रखाव इत्यादि उरेखा विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit क सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यवाही संस्था की होगी।

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	विकास खण्ड	मात्राकृत योजना	वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रु0	मा0 विधायक द्वारा कार्यवाही संर
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम बर्नागाँव में बहादुर राम के घर से मटेडा तक सी0सी0 मार्ग निर्माण (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	1.50	वि0ख0कनालीछ
2	ग्राम हारलीसेरा में आदूखाला सार्वजनिक स्थल में टाईल्स विधान कार्य (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	2.00	वि0ख0कनालीछ
3	ग्राम उदमा में सार्वजनिक चौपाल एक वेलिंग निर्माण कार्य	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	वि0ख0कनालीछ
4	ग्राम बौराल आदूखाला सार्वजनिक स्थल में टाईल्स विधान कार्य (अ0जा0)	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	2.00	वि0ख0कनालीछ
5	ग्राम पदायत खोलिया गाँव में घानीचौरा में सार्वजनिक चौपाल निर्माण	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	वि0ख0कनालीछ
कुल					8.50	

टिप्पणी- 1 अवशेष कार्यो की स्थिति में आगणन उपलब्ध कराते समय पूर्व के कार्यो की उपयोगित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

2 आगणन तकनीकी स्वीकृति उपरान्त ही उपलब्ध कराये।

ह0/-

(डॉ0 दीपक सैनी)

मुख्य विकास अधिकारी  
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि- मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सूचनाार्थ प्रेषित।



जिला विकास अधिकारी  
पिथौरागढ़।